

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम


फर्द अहकाम

मु.नं 132/16 तारीख 22 नू 9/11/16

उनपान - बिबि साई बंनारम चन्ने केसे

दावा बाबत इस्त करार हक तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से भी सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने दावा बाबत तकास्मा, कोषणा खोहदारी, स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। प्रस्तुत शपथ पत्र व वाद पत्र का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्ट्र कर प्रतिवादी गण के जरिये सम्मन से तलब कर पत्रावली दि 21.11.16 को पेश है।


  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करोली)

3498-3508  
9/11/16

21/11/16

वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं 1, 9, 10 की ओर से श्री मदन मोहन शर्मा Adv. ने भी पेश किया। वाद पत्र की गफलत गलत नहीं होने का एतराज दर्ज कराया। प्रतिवादी नं. 4 की ओर से श्री सुनील कुमार जिरल Adv. ने वकालतनामा पेश करने का लक्ष्य-वाहेत दुर उपस्थित दर्ज कराई। प्रतिवादी नं. 2, 5 स्वयं उपस्थित दुर। प्रतिवादी नं. 3, 6, 7, 8, 11 उपस्थित नहीं हैं P.O. को पत्रावली पधारने की पेश करने वकालतनामा व जवाब दि 21.11.16 को पेश है।

उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम  
करोली

  
पन्ना

  
9/11/16

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

17/17 वक्रुलाय उपजमा / गण सुभाए सिनाक  
२२-२-१७ को पेश हो

२२-२-१७

वक्रुलाय उपजमा / प्रतिवादी प्रेमदेवी उपस्थित नहीं। इसके  
विकल्प एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है जखब पेश कलेक्टर  
समय नाला। जखब पेश कलेक्टर पक्ष समय दिया जा चुका  
है अब एक गैर देव विद्वान की जाती है कि आगापी  
सुनवाई तिथी पर जखब पेश नहीं किया जाता है तो  
जखब स्वतः ही कद हो जायेगा। दिनांक 27.2.17 को  
पेश हो

२७-२-१७ - वादी वकील उपस्थित नहीं। प्रतिवादी नं १, २, १० के  
वकील एवं प्रतिवादी नं. ५ के वकील उपस्थित हुए। इन्होंने  
जवाबदावा प्रस्तुत किये। शामिल किये जाये। वादी वकील  
उपस्थित नहीं होने के कारण कई बार आवाज दिलाई। अभी  
फिर भी वादी वकील एवं वादीगणों में से कोई उपस्थित  
नहीं हुआ। अतः मूल दावा अदम्य हाजरी अदम्य पेशी में  
शुद्धि किया जाता है। पत्रारली के सल सुभार होकर  
गठवर से काम कर दायिले दफ्तर हो